प्रेस नोट

दिनांक 18.02.2026

मिशन शक्ति के तहत रिजर्व पुलिस लाइन्स हमीरपुर में शिक्षण कार्यक्रम आयोजित, पॉक्सो एक्ट व महिला-बाल सुरक्षा कानूनों पर विस्तृत चर्चा।

आज दिनांक 18.02.2026 को पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशानुसार तथा अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के नेतृत्व में, सचिव लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन्स हमीरपुर में एक शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जनपद के समस्त थानों से नामित मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी एवं महिला कल्याण विभाग हमीरपुर से उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों ने सहभागिता की। यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं विवेचकों की विधिक जानकारी को सुदृढ़ करना था।

कार्यक्रम के दौरान सचिव लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पॉश एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा अन्य संबंधित विधिक प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बाल संरक्षण, महिला अधिकार, पीड़ित सहायता तंत्र, त्वरित एवं संवेदनशील विवेचना की आवश्यकता तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि महिला एवं बाल संबंधी अपराधों में संवेदनशीलता, गोपनीयता एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पीड़ित पक्ष को समुचित विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी मौदहा, क्षेत्राधिकारी राठ सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

112
मिशन
शक्ति
शिक्षण कार्यक्रम
बालविवाह, घरेलू हिंसा
हमीरपुर
1076
112
102